भारत सरकार
आयकर विभाग

फा.सं.आ.आ. / पटि. / तकनी. / 124 / 80–जी / 2007–08 / 2259

कार्यालय,
आयकर आयुक्त,
पटियाला ।
दिनांक : 19.02.2008

**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–जी के अधीन आदेश ::**

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–जी के अधीन अनुमति प्रदान करने के बारे में ।

संदर्भ : दिनांक 17.08.2007 को फार्म नं0 10–जी में प्राप्त आवेदन।

सोसाइटी फार वैल्फेयर आफ दि हैंडिकैप्ड (रजि.), श्री किशन सिंह कम्बोज हॉस्टल, लोअर माल, पटियाला को दिए गए दान आयकर अधिनियम 1961( 1961 की 43 ) की धारा 80–जी के अन्तर्गत, उक्त धारा में निहित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन, दान कर्ताओं के पक्ष में कर छूट के योग्य होंगे । यह छूट वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक ( निर्धारण वर्ष 2008–09 से 2010–11 से संबंधित ) अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्य होगी:

1. दान कर्ताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या तथा तारीख लिखी होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यह रसीद केवल 01.04.2007 से 31.03.2010 तक की अवधि के लिए दिए गए दान के लिए मान्य है।
2. लेखाओं के वार्षिक विवरण, पावतियों एवं खर्च के ब्योंरे एवं तुलन–पत्र (बैलेंस शीट ) प्रति वर्ष आयकर अधिकारी, वार्ड–1, पटियाला के पास प्रस्तुत किए जाएं, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि निर्धारिती / आवेदक आयकर नियमावली 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों का पालन करता रहे।
3. यदि ट्रस्ट की डीड / गठन/ नियम–विनियम/ज्ञापन (विवरण–पत्र ) में कोई संशोधन किया जाना हो तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जाए एवं आयकर आयुक्त, पटियाला की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। ऐसा न करने पर किया गया कोई भी संशोधन इस आदेश को निष्प्रभावी कर देगा ।

( जी.सी.नेगी )
आयकर आयुक्त,
पटियाला।

प्रति प्रेषित है :

क. सोसाइटी फार वैल्फेयर आफ दि हैंडिकैप्ड (रजि.), श्री किशन सिंह कम्बोज हॉस्टल, लोअर माल, पटियाला ।
ख. अपर आयकर आयुक्त, पटियाला रेंज, पटियाला को सूचनार्थ ।
ग. आयकर अधिकारी, वार्ड–1, पटियाला को सूचनार्थ एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक विवरणों की जांच हेतु एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक समय–समय पर आयकर नियमावली 1962 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की शर्तों एवं बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का पालन करता रहे।

( के.बी.अग्रवाल )